दलित महिलाओं के प्रति अपराध वर्तमान संदर्भ में : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ० प्रवीण कुमार
एसो0 प्रोफे0, समाजशास्त्र विभाग, एस०डी० (पी०जी०) कॉलिज, गाजियाबाद

lारांश

हमारे समाज में नारी प्रतिपफल किस सीमा तक भेदभाव, अन्याय, जुल्म, शोषण, उत्पीड़न का शिकार होती है उसे सम्मान तो दिखाने के तौर पर कुछ पफीसदी लोगों द्वारा मिल पाता है, जबकि असलियत है कि अधिकांशतः उसे हर मोर्चे पर पुरूष के अहम् का शिकार होना पड़ता है, पिफर चाहे वह घर हो, परिवार हो, दफ़्रतर हो, बस हो, रेल हो, सड़क हो, खेत–खलिहान हो, पंचायत हो या पिफर मजिस्ट्रेट का चैम्बर, हर जगह उसे अपमान, घृणा जिल्लत का सामना करना पड़ता है और इन्सानियत को ताक पर रख हैवानियत से भरे नर–पिशाचों की शैतानी, भूख और शड्यन्त्रा का शिकार होना पड़ता है।

l*ा*d*ा*r&*श*(n – *समाज, नागरिक, राजनैतिक, पुरूष*

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

डॉ० प्रवीण कुमार,
"दलित महिलाओं के प्रति अपराध वर्तमान संदर्भ में : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन,
शोध मंथन, जून 2017,
Vol. 8, No. 2
पेज सं0 165–169
http://anubooks.com/?page_id=2030
Artcile No.27(SM434)

प्रस्तावना

दलित नारी की स्थिति तो सबसे ज्यादा बुरी है क्योंकि जाति के अहम् में पुरूष दलित नारी को खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे प्रकरणों या घटनाओं का उल्लेख किया है। जैसे डायन कह कर जला देने वाली घटनाएँ, गंगा करके घुमाने की घटनाएँ, प्रेम संबंधें के कारण मार डालने वाली घटनाएँ, बलात्कार, जैसे सहारनपुर जिले में थाना गंगोह के अन्तर्गत मोहड़ा में बुद्ध नाम के दलित व्यक्ति की 14 वर्षीया पुत्राी सीमा की बलात्कार के बाद गला घोटकर हत्या कर दी गयी। ऐसी विभिन्न घटनाएँ हैं। बीते पन्द्रह सालों में दलितों पर हुए अत्याचारों की ऐसी प्रमुख घटनाऐं है, जो अखबारों, पत्रिाकाओं की सुर्खियां बनी है जबकि दलित नारियों पर होने वाले अत्याचारों की सूची कापफी लम्बी है। इनकी संख्या तो लाखों में यह हमारे समाज की वास्तविक स्थिति को दर्षाता है।

सच्चाई तो यह है कि सवर्ण आत्साइयों की नजर में औरत और दलित एक समान नहीं है। यह एक कड़वा सच है कि अधिकांश बलात्कार की घटनाऐं दलित महिलाओं के साथ होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यथार्थ में दलित महिलाओं के साथ सवर्णों द्वारा आमनवीय अत्याचार, दुर्व्यवहार किये जाते हैं। मानव प्रगति का आधर नारी ही है। अपने जीवन को उसने कभी अपने लिए न दिया वरन् सदा ही अपनी भावना, अपनी ममता दूसरों के लिए लुटाती रही है। अनेक कानूनों के बावजूद भी वह स्वयं को कितना आरक्षित महसूस कर रही है। इक्कीसवीं शताब्दी में भी हम नारी को उसी दृष्टिकोण से देखते रहेंगे जब हमारे देश में शिक्षित लोग बहुत कम थे परन्तु आज तो हमारे देश में शिक्षित वर्ग 65÷ से अध्कि होने को हैं। महिलाओं के खिलापफ अपराध् रोकने के लिए जहाँ तक कानून और उसके तहत की जाने वाली कार्रवाई की बात है, सरकार ने अब तक जो कुछ दिया है उसे कम नहीं कहा जा सकता परन्तु फिर भी महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएँ नहीं रूक रही हैं क्योंकि सभी घटनाएँ हमारी कुत्सित मानसिकता का परिचायक हैं। इस मानसिकता को बदलना होगा तभी हम नारी को समाज में उच्च सम्मान दे पायेंगे।

भारत में 2001 जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या 49.645 करोड़ है। कार्यशील स्त्रिायों में कृषि में अप्रत्यक्ष रूप से लगी महिलाओं का प्रतिशत करीब 80 है। जिनमें ज्यादातर दलित महिलाऐं होती है। हम आए दिन पत्रा–पत्रिाकाओं में बलात्कार की घटनाऐं पढ़ते रहते हैं, जिनमें से कुछ में तो पुलिस और प्रशासन भी शामिल होता है। इस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न एवं शोषण उनके साथ बलात्कार उन्हें बहला–पफुसला कर भगा ले जाना, उनके साथ मारपीट, गाली–गलौच करना, उन्हें जला देना, उनकी हत्या करना आदि महिला अपराध के उदाहरण है।

भारत में महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधें एव हिंसा की जानकारी हमें गृह मंत्रालय, पुलिस अन्वेषण विभाग तथा नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑपफ सोशल डिपफेन्स विभाग द्वारा आंकड़ो में होती है। भारत में प्रत्येक 33 मिनट में महिलाओं के प्रति एक अपराध् की घटना होती है। पत्रा–पत्रिाकाओं में महिलाओं के प्रति जो आंकड़े दिये जाते हैं, आंकड़े अपूर्ण है क्योंकि उनके

प्रति किए गए सभी अपराधें को पुलिस में दर्ज नहीं कराया जाता है तथा नारी के प्रति घर में ही किए जाने वाले अपराधें को घरेलू मामला समझकर पुलिस उनके हस्तक्षेप नहीं करती हैं और स्त्रायां भी उन्हें बहार उजागर करना उचित नहीं समझती। दलित महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं का समाजशास्त्राीय वर्णन इस प्रकार से हैं।

नंगा करके घुमाने वाली घटनाएं

1. राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रूपाहेली गांव में दिन–दहाड़े लाडू देवी नामक दलित महिला को गांव के ही 25 सवर्णों ने उसके घर से घसीटते हुए बाहर लाकर उसके कपड़ों को पफाड़ दिया और नंगा करके लात व घूसों से मारा।
2. उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में इनायतपुर गांव की इमरती नामक 44 वर्षीय दलित महिला को गांव वालों ने नंगा करके लोहे की छड़ से मारा और घंटों गांव में घुमाया।
3. हिमाचल विधन सभा में उस समय जबरदस्त हंगामा हुआ जब जमीन के मामले में राजपूत बंधुओं ने शकीना देवी नामक एक दलित महिला को नंगा करके पेड़ से बांध्कर मारा।

ऐसी विभिन्न घटनाऐं हैं जो अखबारों की सुर्खियां होती है, जिनका यहां पर वर्णन नहीं किया गया है।

जीवित जलाने, तेजाब डालने, अपमानित करने, प्रेम संबंधें के कारण मारने की घटना

1. हरियाणा के हिसार जिले में देपल नामक गांव में 21 वर्षीय अनिल कुमार नामक दलित की गांव की दो बच्चों की माँ 25 वर्षीय सत्यवती नामक जाट महिला के साथ प्रेम–संबंध होने के आरोप में दोनों को मार डाला।
2. हरियाणा के हिसार जिले में एक अजीबोगरीब स्थिति उस समय पैदा हो गई जब मुख्यमंत्राी बंसीलाल की बेटी सुमित्राा देवी ने वहां ड्यूटी पर तैनात रेणु पफुलिया नामक दलित महिला सिटी मजिस्ट्रेट को पीटा।

ऐसी अनेक घटनाऐं हैं। जिनका यहां वर्णन नहीं किया गया है।

बलात्कार की घटनाएं

बिहार में दलितों पर नरसंहार हो, बलात्कार, वहां पर ये रोजमर्रा की स्वाभाविक घटनाऐं हैं

1. उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में मौहम्मदाबाद गोहाना तहसील के अन्तर्गत रानीपुर थाने के समसाबाद क्षेत्रा की 6 युवा तथा अध्ेड़ दलित महिलाओं के साथ सवर्णों ने सामूहिक बलात्कार किया।
2. गाजियाबाद जिले के सिहानी गांव में करीब एक दर्जन गुण्ड़ों ने एक साथ पाँच दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया।
3. मेरठ के गंगानगर इलाके में बंदूकों से लैस तीन गुर्जर युवकों द्वारा पति के सीने पर बंदूक रखकर 32 वर्षीय तीन बच्चों की माँ दलित महिला के साथ बलात्कार किया।

4. पफुगाना थाना क्षेत्रा के गांव बड़ौत जंगल में तीन लोगों ने एक 14 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार आदि घटनाऐं रोजमर्रा हो रही है।

5. शीलू प्रकरण

उपरोक्त बलात्कार के सभी मामलों की जानकारी सम्भव नहीं है केवल कुछ मामले ही पुलिस में दर्ज करवाए जाते हैं ऐसा माना जाता है कि सरकारी आंकड़ों की तुलना में वास्तविक बलात्कार की संख्या पाँच गुना अध्कि है। इस घटनाओं का समाजषास्त्रीय अध्ययन से पता चलता है कि

1 अधिकांशतः बलात्कार गरीब महिलाओं के साथ होते हैं, 2 सर्वाधिक बलात्कार 15 से 20 वर्ष की आयु की महिलाओं के साथ, 3 इसका मुख्य कारण लिंगानुसार का घटना भी हो सकता है, 4 समाज का कड़े रूप से इसका विरोध न करना है। इसके मुख्य कारण अन्य भी हो सकते हैं

जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, उनमें से अधिकांश ऐसी घटना को भुला देना चाहती है वे अपना मैडिकल मुआयना करवाना एवं पुलिस न्यायालय द्वारा जांच करवाना नहीं चाहती है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया लम्बा समय लेने वाले एवं परेशानी पैदा करने वाली होती है तथा बलात्कार से पीड़ित महिलाएं उनके प्रति किए गए अपराध् को खामोशी से बर्दाश्त कर लेती है, विरोध करने पर उन्हें सामाजिक निन्दा एवं अपमान का डर होता है।

महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधें के निम्न कारण हो सकते हैं पुरूष प्रधनता, स्त्रियों की पुरूषों पर आर्थिक निर्मटता, अशिक्षा, महिलाओं के प्रति विद्वेष, सामाजिक कुप्रथाऐं, पारिवारिक तनाव, पीड़ित द्वारा भड़काना, नशा, अपराधी के प्रति निष्क्रियता।

सुझाव

शिक्षा की सुविध, रोजगार की व्यवस्था, महिला संगठनों का निर्माण, समाज द्वारा ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार जो इन घटनाओं को करते हैं। वैचारिक परिवर्तन, कानूनी सहायता एवं परामर्श, महिला न्यायालयों की स्थापना। दूसरी ओर महिलाओं को भी निष्क्रिय रूप से अत्याचार नहीं सहना चाहिए, वे अपने दमन व शोषण के प्रति जागरूक हो, उनका विरोध करें, न्यायालय कानून एवं अपने परिजनों से मदद मांगे। अतः सर्वप्रथम तो स्वयं महिलाओं को ही उठाना होगा, जगाना होगा, विरोध प्रकट करना होगा, तभी वे संकट की स्थितियों से मुक्त हो पाएगी।

पुरूष प्रधन समाज ने महिलाओं को जिस सोचनीय स्थिति में पहुंचाया है, उसके भयावह परिणामों से वह अवगत नहीं है। दूसरों की बहू–बेटियों–बहनों के प्रति अश्लीलता, अत्याचार और बलात्कार करते हुए पुरूषों को अपनी बहनें, बेटियां, बहूएं और माँएं भी याद आनी चाहिए कि उनके साथ भी यही सब हो सकता है। महिलाओं के खिलापफ हुए अत्याचारों में बेहताशा वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं के प्रति समाज का रवैया और नजरिया कुछ खास नहीं बदला है। हाँ! समाज की मौजूदा धरा के खिलापफ चलने वालों औरतों को इतनी हिम्मत अवश्य दी

है कि वे अपने रास्ते चलती रहे।

कहने को हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके है, एडवांस इतने हो चुके है कि समाज के हर क्षेत्रा में महिलाओं को पुरूषों के समान भागीदारी की बात जोर–शोर से करते है, लेकिन इस तरह के आदर्शों की बातें, सार्वजनिक मंचों और गोष्ठियों में वाह–वाही लूटने तक ही सीमित है। मामला चाहे महिलाओं के श्रम षोशण का हो या दैहिक शोषण का अथवा उनकी सामाजिक हैसियत का सवाल हो स्थिति में सुधर तभी आ सकता है जब हम अपनी मानसिकता में बदलाव लाएं। इस उद्देश्य के लिए महिलाओं में शिक्षा के प्रसार की बहुत आवश्यकता है। एक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नारी आर्थिक रूप से पटावलम्बी नारी की अपेक्षा बेहतर स्थिति में हो सकती है। इसके साथ ही उसमें अन्याय के प्रतिकार की भावना भी बलवती होती है। अब अपेक्षा इस बात की है कि महिला जाति की उपेक्षा, अवहेलना प्रताड़ना और उसके विकास में आने वाली बाध का संगठित रूप से प्रतिकार किया जाए। इसके लिए सबसे पहले महिलाऐं अपनी क्षमता का बोध करें, स्वाभिमान को जागृत करें, युगीन समस्याओं, को समझे, समस्याओं को समाज के आगे रखें, उन्हें दूर करने के लिए सामूहिक आवाज उठाऐं इसके लिए उच्च पदों पर बैठी महिलाओं को ज्यादा प्रयास करने चाहिए और आगे बढ़ने के लिए स्वयं अपना रास्ता बनाएं और इस रास्ते की शुरूआत शिक्षा से ही हो सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. आहूजा, राम, 2004, सामाजिक समस्याऐं, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली।

2. आहूजा, राम, 2004,भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली।

3. रावत, ज्ञानेन्द्र, 2004, औरत एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, विश्वभारतीय पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

4. वर्मा, ज्योति, 2007, सामाजिक समस्याऐं, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।

5. प्रसाद, गोविन्द, 2010, आधुनिक समाज की समस्याऐं, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।

6. रावत, हरिकृष्ण, 2005, समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली।

7. ओझा, एन0एन0, 2010, भारत की सामाजिक समस्याऐं, क्रांनिकल पब्लिकेशन्स प्रा0लि0, नई दिल्ली।

8. रावत, हरिकृष्ण, 2004, समाजशास्त्रा विश्वकोण, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, नई दिल्ली।

9. आहूजा, राम, 1996, सामाजिक अपराधशास्त्रा, न्यू एज, अन्तर्राष्ट्रीय पब्लिशर्स, दिल्ली।

10. सेठना, एम0जे0, 1952, समाज और अपराधी, बम्बई लीडर्स प्रेस लिमिटेड।